महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश मंदिर
पो.–जवासिया, उज्जैन (मध्य–प्रदेश)
दूरभाष / Tele : (0734) 2502266,2502254, फैक्स / Fax : (0734) 2502253
e-mail : msrvvpujn@gmail, Web : www.msrvvp.nic.in

–निविदा प्रपत्र–

कार्य का नामः– वर्ष खण्ड 2018–19 हेतु प्रतिष्ठान का मुद्रण (प्रिन्टिंग) कार्य

निविदा फार्म की अंतिम तिथि :	**25 जुलाई, 2018 बुधवार सांय 06:00 बजे तक**
निविदा खोलने की तिथि :	**26 जुलाई, 2018 गुरूवार प्रातः 11:00 बजे**
सेवा / कार्य की अनुमानित लागत राशि :	रू. 6,00,000 / – (छः लाख रुपये मात्र)
धरोहर राशि :	रू.15,000 / – (पन्द्रह हजार रुपये मात्र)
बैंक फिक्स डिपोजिट संख्या / डी.डी. संख्या :	
दिनांक :	
बैंक का नाम व पता :	
कार्य के पूर्ण करने की समय सीमा / समयावधि	एक वर्ष (आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।)
निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था का नाम एवं पताः (दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर सहित)	

प्रतिष्ठान के उपर्युक्त कार्य हेतु इच्छुक एवं अधिकृत निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

मुद्रण (प्रिन्टिंग) कार्य नियम एवं शर्तेः–

1. फर्म का पंजीयन प्रमाण–पत्र ।
2. निविदाकार फर्म का पैनकार्ड ।
3. धरोहर राशि के अभाव में निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
4. निविदा स्वीकार न होने की दशा में चयनित निविदादाता को छोड़कर अन्य सभी निविदादाताओं की धरोहर राशि का फिक्स डिपोजिट रसीद (FDR) / D.D. वापस कर दी जायेगी।
5. निविदाकार को शासकीय एवं अर्द्धशासकीय तथा औद्योगिक संस्थाओं का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र/कार्यादेश की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी। इसमें निविदा मूल्य की लागत का 80% का एक प्रमाण–पत्र अथवा 60% के दो प्रमाण–पत्र अथवा 50% के तीन प्रमाण–पत्र आवश्यक हैं जो विगत 7 वर्षों के अन्दर प्राप्त किये गये हों।
6. विक्री कर विभाग से जारी TIN नम्बर ।
7. सर्विस टैक्स क्रमांक।
8. कार्य की विचलन सीमा (Deviation Limit) 100% रहेगी।
9. निविदा स्वीकार होने के स्थिति में निविदा स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम 15 दिन में सफल निविदादाता को स्वीकृत निविदा राशि की 5% धनराशि का FDR निष्पादन गारंटी के रूप में प्रतिष्ठान में जमा कराना अनिवार्य होगा। जो कार्य समापन तिथि से छः माह अधिक अवधि तक मान्य हो। निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।
10. निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर एक सप्ताह के अन्दर कार्यादेश जारी कर दिया जायेगा। कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्य का अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा तदनन्तर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
11. कार्यादेश जारी होने की तिथि के पन्द्रह दिन बाद की तिथि से कार्य प्रारम्भ माना जाएगा। उसी तिथि से समापन तिथि की गणना की जाएगी।
12. निविदा स्वीकार न होने की दशा में फिक्स डिपोजिट रसीद (FDR)/डिमाण्ड ड्राफ्ट (DD) वापस कर दी जाएगी।
13. निविदा दरें प्रतिष्ठान की शर्तो पर आमंत्रित की गई हैं। अतः निविदाकार की कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा अर्थात् सशर्त प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित निविदा में किसी प्रकार का टैक्स भुगतान या शर्तो का उल्लेख न किया जाए।

14. समस्त निविदादाताओं को अपनी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने हेतु संलग्न प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना होगा। इस प्रपत्र के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. सेवाओं में लापरवाही या कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर सम्बन्धित एजेन्सी का अनुबन्ध अवधि से पूर्व ही समाप्त करने का अधिकार प्रतिष्ठान के सचिव को होगा।

क) **तकनीकि बोली**– उपर्युक्त अनुसार माँगे गये समस्त प्रमाण प्रपत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रतियॉ एवं निर्धारित अमानत राशि का फिक्स डिपोजिट रसीद (FDR)/डिमाण्ड ड्राफ्ट (DD) की स्केन कापी अपलोड कर मूल (original) प्रति निविदा के अन्तिम तिथि के पूर्व व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा प्रतिष्ठान कार्यालय को प्रेषित करें।

ख) **वित्तीय बोली** – प्रतिष्ठान द्वारा जारी निविदा फार्म में निर्धारित स्थान पर निविदा दरें भरी जाएं। प्रस्तुत निविदा दरों में किसी प्रकार की काट–छाँट या (overwriting) मान्य नहीं होगी।

16. निविदा खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।

17. निविदा खोलने में सर्वप्रथम तकनीकि बोली पर विचार होगा। माँगे गये सम्पूर्ण प्रपत्रों के प्राप्त होने पर ही वित्तीय बोली पर विचार होगा। तकनीकि बोली में अधूरे प्रपत्र प्राप्त होने पर वित्तीय बोली निरस्त कर दी जाएगी।

18. निविदा दरें सुस्पष्ट अक्षरों में लिखा होना आवश्यक है। किसी प्रकार की अस्पष्टता एवं कटिंग आदि होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।

19. निविदा में फर्म के प्रोपराइटर के नाम के साथ हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।

20. निविदा स्वीकार होने के स्थिति में सफल निविदादाता को स्वीकृत निविदा राशि का 5% राशि का FDR निष्पादन गारंटी के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। जो कार्य समापन तिथि से छः माह अधिक अवधि तक मान्य हो। निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।

21. निर्धारित समय सीमा में कार्यादेश का पालन न करने की स्थिति में अमानत राशि **राजसात** कर ली जाएगी।

22. सन्तोषजनक कार्य होने पर कार्यावधि समिति की संस्तुति पर क्रमशः एक–एक वर्ष पर तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है। समिति की अनुशंसा पर स्वीकृत दर में यथोचित प्रतिवर्ष वृद्धि की जा सकती है।

23. निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार सभी मदों में दरें भरना अनिवार्य है। एक भी मद में निविदा दर न भरने पर निविदा स्वतः निरस्त हो जाएगी। निविदा

प्रपत्र में दिये गये मद एवं मात्रा में ही दर स्वीकार होंगी। अन्य मद एवं मात्रा में दी गई दरें स्वीकार नहीं होंगी।

24. सामान लाने ले जाने के लिए किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट का किराया आदि अलग से भुगतान नहीं होगा।

25. बिल राशि से नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान की रहेगी। टीडीएस कटौती से सम्बन्धित 16ए फार्म टीडीएस जमा होने के पश्चात् जारी किया जाएगा।

26. निविदा स्वीकृत करना, अस्वीकृत करना या पुनः आमंत्रित करने का अधिकार प्रतिष्ठान के अधीन रहेगा।

27. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रतिष्ठान के सचिव का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

28. किसी भी प्रकार के वाद–विवाद के लिए भारतीय कानून के साथ न्यायायिक क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

सचिव
महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान